बच्चों की तस्करी रोकने को पंचायतों में दर्ज हो नाम

पटना (एसएनबी): मानव व्यापार बहुआयामी समस्या है। महिलाएं और बच्चे मानव व्यापार के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार सहित प. बंगाल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मानव व्यापार के मामले आए हैं। स्थिति के मद्देनजर शासन-प्रशासन स्तर पर मानव व्यापर की रोकथाम के लिए बृहस्पतिवार को

'मानव तस्करी के विभिन्न आयाम : सत्ता व समाज की समाधानकारी भूमिका' पर कार्यशाला

होमी चौकसी : कार्यशाला में समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह व अन्य।

बिहार विधान परिषद के बाल संरक्षण एवं महिला सशक्तीकरण समिति,भूमिका बिहार एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 'मानव तस्करी के विभिन्न आयाम : सत्ता और समाज की समाधानकारी भूमिका' विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। बिहार विधान परिषद के एनेक्सी सभागार में आयोजित कार्यशाला में समाज कल्याण मंत्री परवीन अमानुल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार का चहुंमुखी विकास होगा तभी मानव व्यापार की घटनाओं में कमी आएगी। सरकार मानव व्यापर रोकने को प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक समेकित निस्तार (रेस्क्यू) कार्यक्रम बनाया गया है। बिहार के सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी टीम चौकसी करेगी। श्रीमती अमानुल्लाह ने कहा कि मानव व्यापार के संबंध में बनायी गयी 'अस्तित्व कार्य योजना' को कारगर बनाने की जरूरत है। राज्य के आठ सीमावर्ती जिलों कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया और प. चंपारण तथा पूर्वी चंपारण में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों पर विशेष निगरानी टीम चौकसी बरतेगी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, नई दिल्ली की अध्यक्ष शांता सिन्हा ने बिहार सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर गांवों में बच्चों के नाम पंजी में अंकित किये जाएं तो बच्चों की तस्करी रोकने में मदद मिल सकती है। उन पंजियों की हर महीने जांच भी होनी चाहिए। कार्यशाला की अध्यक्षता विधान पार्षद किरण घई ने की।